

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह,  
विशेष सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 01 दिसंबर, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3351/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2015-16, दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से जनपद-शामली की न0पा0प0, कांधला की 06 परियोजनाओं, जनपद-बस्ती की न0पा0प0, बस्ती की 04 परियोजनाओं एवं जनपद-मऊ की न0पं0, मुहम्मदाबाद गोहना की 02 परियोजनाओं अर्थात् उक्त तीनों जनपदों की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण आदि कार्यों से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 12 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-470/2016/1272/69-1-16-18(ओसं0-37)/2016, दिनांक 28 जून, 2016 द्वारा रू0 472.52 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रू0 236.26 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में जारी की गयी थी। अतएव चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से उक्त जनपदों में केवल जनपद-शामली की न0पा0प0, कांधला की 06 परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि रू0 99.035 लाख (रूपये निम्नानुबन्धे लाख तीन हजार पांच सौ मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार करायें जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

श्री. ग. पा. / श्री. श्री. शर्मा /  
प्रियोगर

रु  
श्री. श्री. /  
575/रु

4. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिलास्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30 प्र0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
15. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।
16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-03-मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग तथा नाली आदि का निर्माण-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,  
*hpsk*  
(एच0पी0 सिंह)  
विशेष सचिव।

संख्या-183/2016/2345(1)/69-1-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, शामिली।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,  
*Rale*  
(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)  
अनु सचिव।


का संलग्नक।

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/न०पं० का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण	परियोजना की कुल लागत	द्वितीय/अंतिम किशत के रूप में स्वीकृत
1	2	3	4	5	6
1	शामली	न०पा०प०, कांधला	मो० खाकरोवाल राजश्री कॉलोनी में नौशाद के मकान से मोमिन के मकान तक, शौकीन के मकान से शमीम नाला के मकान तक, कयूम के मकान से मुबारिक गुर्जर के मकान तक, फरूजुद्दीन के मकान से उस्मान के प्लाट तक, ए.डी.ओ. के प्लाट से जैनियों के स्थल की दीवार तक, हाजी जाहिद के प्लाट से युनूस के मकान तक समे भारसी के प्लाट से मुस्तकीम नाला के मकान तक, परवेज के मकान से हाफिज शब्बीर के प्लाट तक, नसीम के प्लाट से याकूब धोबी के प्लाट तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	63.54	31.77
2	तदैव	तदैव	मो० खाकरोवाल राजश्री कॉलोनी में मेन बाईपास से शौकीन के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	27.69	13.845
3	तदैव	तदैव	मो० इंगुगुरा में अहसान के मकान से शब्बीर के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.99	4.495
4	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 25 मो० खेल में इस्लाम के मकान से राशिद के मकान तक, प्रमोद के मकान से इमरान के मकान तक, इदरीश के मकान से शौकत के मकान तक, नसीम के मकान से हनीफ के मकान तक, रईसु मिस्त्री के मकान से नान के मकान तक, अली अकबर के मकान से रईस के मकान तक, पुलिया से करीम अन्सारी तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	61.99	30.995
5	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 16 मो० खेल में नाजिम के मकान से इकराम के मकान तक शदीन के मकान से रिजवान के मकान तक एवं कल्लू से मस्जिद तक इण्टरलाकिंग	9.49	4.745

			टाईल्स सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।		
6	तदैव	तदैव	मो0 शाहजादगान में इकबाल के मकान से अहमद के मकान तक, अफसर के मकान से नूरहसन के मकान तक, लीलू के मकान से राधेश्याम के मकान तक, जुलफिकार के मकान से पाल्ला के मकान तक, शब्बीर के मकान से अहसान के मकान तक एवं मामू के मकान से नौशाद के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	26.37	13.185
योग				198.07	99.035

(रूपये निन्यानवे लाख तीन हजार पांच सौ मात्र)

  
(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)  
अनु सचिव।

<http://shashnadesh.up.gov.in>